तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु० 154/2024 — अनवर बनाम वी० मु० 1 [illegible]	नम्बर आदेश हुक्म की [illegible]
[illegible]	पत्रावली पेश हुई। मूल वाद में निर्णय एवं डिक्री पारित हो चुका है। वकीलान पक्ष की आम सहमति से अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर अन्तिम बहस श्रवण की गई। वकील आवेदक ने ताउम्रान आज्ञप्ति वाद ग्रस्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। वकील अनावेदगण ने आवेदक वकील के कथनों का विरोध किया कि आवेदकगण ने अपने ~~[illegible]~~ हिस्से की कुर्की के मुकि से मिट्टी खोद बेचने की है। अब आवेदक दो चेकबन्द अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रखना चाहता है। हमने मिसल का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान के मौके एवं विक्रय नहीं करने बाबत पाबन्द किये जाने हेतु हित प्रकाशित नहीं होना प्रतीत होता है। अतः उभय पक्षकारान परिषेध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि दौरान आज्ञप्ति निस्तारण तक वाके ग्राम [illegible] के ख.नं. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 114, 231, के मौके की यथास्थिति बनाये रखें तथा विक्रय नहीं करें। मिसल उर्ज नम्बर से कम की जाकर आखिल दफ्तर होकर मूल वाद के हमराह रहे। [signature] [illegible] अधिकारी [illegible]वा	